भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1345
गुरुवार, दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>जनजातीय क्षेत्रों में सौर विद्युत संयंत्र</u>

1345. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में नए सौर पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है और यदि हाँ, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र और तमिलनाडु के जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्रों में ऐसे संयंत्र कब तक स्थापित होने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसाधारण हेतु बिजली वितरण प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में 13 राज्यों में 39,285 मेगावाट की कुल क्षमता के 57 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं। तमिलनाडु में कोई सौर पार्क स्वीकृत नहीं किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): जनजातीय क्षेत्र सहित किसी क्षेत्र में सौर विद्युत संयंत्र, भूमि की उपलब्धता और सौर विकिरण के स्तर के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

(घ) सरकार ने देश में सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- व्यापक स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी, ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" की अधिसूचना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनुमोदित किया गया।

(ङ) सरकार ने 5 वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए 97,631 करोड़ रु. की अनुमानित सकल बजटीय सहायता के साथ सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना शुरु की है। यह योजना वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के जरिए उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक लागत को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक और औसत आपूर्ति लागत – प्राप्त करने योग्य औसत राजस्व (एसीएस – एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है।

योजना के दो प्रमुख घटक हैं: भाग 'क' – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग और वितरण अवसंरचना का उन्नयन (अपग्रेडेशन) करने के लिए वित्तीय सहायता और भाग 'ख' – प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और अन्य समर्थकारी एवं सहायक क्रियाकलाप।

योजना के तहत जो निधियां जारी की जाती हैं, उसे परिणामों एवं सुधारों से जोड़ा गया है और योजना के तहत राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन से राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से अनुकूल सुधारात्मक उपाय अपनाने और अवसंरचना निर्माण कार्य की योजना बनाने की अनुमति दी गई है।

अनुलग्नक

'जनजातीय क्षेत्रों में सौर विद्युत संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 09.02.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1345 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वीकृत सौर पार्क के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	पार्कों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	5	4100
2	छत्तीसगढ़	1	100
3	गुजरात	7	12025
4	हिमाचल प्रदेश	2	1280
5	झारखंड	7	1169
6	कर्नाटक	2	2500
7	केरल	2	155
8	मध्य प्रदेश	9	6080
9	महाराष्ट्र	2	750
10	मिजोरम	1	20
11	ओडिशा	3	340
12	राजस्थान	9	7036
13	उत्तर प्रदेश	7	3730
कुल		**57**	**39285**

*****